हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइराहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
धर्मखिलाड़ी vs सीताराम वगैरह T-9.	
वकील फरीकेन उप०/SDO साहब दीगर कार्यों में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि०.1.1.1.19.को पेश है। ह०	
1/1/19 वकील फरीकेन उप० बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 2/1/19 को पेश हो।	
2/1/19 वकील फरीकेन उप० प्रार्थना पत्र अभी स्वीकार किया जाता है कि तहसीलदार निर्णय पृथक है। जिसका जवाब शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
01 / 14	अस्थायी निषेधाज्ञा	23.12.13	21.01.19

रामखिलाड़ी पुत्र मूला जाति मीना निवासी किराड़ी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

1. सीताराम पुत्र भोला जाति मीना निवासी किराड़ी तहसील सपोटरा जिला करौली।
2. कुलदीपपाल ।
3. प्रदीपपाल । पुत्रान स्व0 वीरेन्द्र पाल जाति राजपूत निवासी किराड़ी हाल निवासी हटवाड़ा बाजारा करौली तहसील व जिला करौली।
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री कुंजबिहारी शर्मा वकील प्रार्थी।
श्री शेरसिह वकील अप्रार्थीगण।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम किराड़ी तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 221 रकबा 40 बीघा 04 बिस्वा जो सम्पूर्ण आराजी वीरेन्द्रपाल, जितेन्द्रपाल, सुरेशपाल, रमेशपाल, विजयलक्ष्मी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। जिसमे से खातेदारान ने दिनांक 26.10.1972 को 17 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी को तथा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि हरिनारायण पुत्र उंकारया मीना निवासी किराड़ी एवं 20 बीघा 04 बिस्वा भूमि रामधन, सुआ, सीताराम पुत्रान भोला मीना निवासी किराड़ी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय करके विक्रयशुदा आराजीयात पर हिस्सा अनुसार कब्जा करा दिया और प्रार्थी उक्त दिनांक से ही उक्त आराजी मे से रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है तथा रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर प्रार्थी के हक मे नामान्तरकरण तस्दीक किया गया किन्तु उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्व तरीके से 17 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर 16 बीघा 10 बिस्वा का खोल दिया गया और उसी अनुसार खातेदारी जमाबंदी मे दर्ज कर दी गई। तथा 1 बीघा भूमि की खातेदारी विधि विरूद्व तरीके से विक्रेता वीरेन्द्रपाल के नाम रख दी गई। अप्रार्थी सं0 4 लैण्ड होल्डर सपोटरा ने प्रार्थी की खातेदारी की भूमि को मिन नम्बर खसरा नं0 221/2 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा एवं वीरेन्द्रपाल वगैरहा के नाम 01 बीघा भूमि को मिन नम्बर खसरा नं0 221/1 जमाबंदी मे दर्ज कर दिया जिस 01 बीघा भूमि की अवैध खातेदारी इन्द्राज का अनुचित लाभ उठाकर खातेदार जितेन्द्रपाल, रमेशपाल, विजयलक्ष्मी ने आराजी खसरा नम्बर 221/1 रकबा 01 बीघा के हिस्सा 3/4 यानि 15 बिस्वा भूमि का अवैध वयनामा अप्रार्थी सीताराम के हक मे तहरीर कर दिया और हिस्सा 1/4 यानि 05 बिस्वा भूमि अप्रार्थी सं0 2 व 3 के पिता स्व0 वीरेन्द्रपाल के नाम जमाबंदी मे दर्ज रह गई तथा हिस्सा 3/4 भूमि अप्रार्थी सीताराम के नाम दर्ज कर दी गई। खसरा नं0 221/1 रकबा 01 बीघा भूमि प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि है ओर उक्त भूमि मे

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण के कोई अधिकार किसी प्रकार के दिनांक 26.10.1972 के पश्चात् शेष नही रहे है। माह अगस्त 2013 मे अप्रार्थी सं0 3 सीताराम ने प्रार्थी से कहा कि मै आपकी आराजी खसरा नं0 221/1 मे से 15 बिस्वा भूमि पर कब्जा करूंगा और तुम्हे बेदखल करूंगा। इसलिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 2 व 3 बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय नही आये है इसलिए इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं0 4 प्रकरण मे फोर्मल पक्षकार होने के कारण इनके जवाब अपेक्षित नही है। अप्रार्थी सं0 1 ने उपस्थित न्यायालय होकर जरिये वकील अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने झूंठा, मनगढन्त एवं निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है क्योंकि प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे दर्ज आराजी का खातेदार एवं काश्तकार नही है बिना खातेदारी एवं कब्जा के प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी रजिस्टर्ड वयनामा को सिविल न्यायालय मे वाद दायर करवाने के बाद ही खारिज फरमाया जा सकेगा, न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार मे नही है। प्रार्थी के नामान्तरकरण मे गलती की भी नामान्तरकण अपील दर्ज करवानी चाहिए थी इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति वयनामा दिनांक 26.10.1972 के अनुसार प्रार्थी ने विवादित आराजी खसरा नं0 221 मे से रकबा 17 बीघा 10 विस्वा भूमि क्रय की गई है जिसका अंकन वयनामा मे स्पष्ट किया हुआ है किन्तु उक्त वयनामा का नामान्तरकरण खोलते समय रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा नामान्तरकरण पंजिका ग्रम किराड़ी मे गलत अंकन कर नामान्मतरकरण तस्दीक कर दिया गया है जो कि सही नही है उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे भी रिकार्ड दर्ज हो गया जिसके आधार पर अप्रार्थी सं0 2 व 3 के पिता वीरेन्द्रपाल ने उक्त आराजी मे से शेष रहे रकबा 01 बीघा का हिस्सा 3/4 रकबा का बेचाना अप्रार्थी सं0 1 को कर दिया है जिन्होने गलत एन्ट्री का फायदा उठाकर उक्त भूमि का बेचान किया है जो विधि विरूद्व है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा इस सम्बन्ध मे ना तो कोई पुख्ता दस्तावेज पेश किया है और ना ही अपने जवाब मे कोई स्पष्ट तथ्य बताये है। उक्त आराजी का बेचान करने वाले वीरेन्द्रपाल के वारिश पुत्र अप्रार्थी सं0 2 व 3 बावजूद रजिस्टर्ड डाक से तामील उपस्थित न्यायालय नही आये इसलिए इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे साबित है। अप्रार्थीगण के तथ्यों को वाद पत्र मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया जावेगा। इसलिए अप्रार्थीगण को वाद पत्र के निर्णय होने तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी ग्राम किराड़ी तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 221/1 रकबा 01 बीघा के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner